

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2015/आश्विन 9, 1937 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2015/ASVINA 9, 1937

No. 606]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि.750(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पित विज्ञान सर्वेक्षण (वर्ग—। और वर्ग—।। पद) भर्ती नियम, 1965, को जहां तक उनका संबंध पुस्तकालयाध्यक्ष और लेजर कीपर के पदों से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पित विज्ञान सर्वेक्षण में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.— पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- **4**. **निरर्हता** वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

4178 GI/2015 (1)

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	2* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड— 2, 9300— 34800 ਚ. + ग्रेड वेतन 4600 ਚ.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीघे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित : वेतन बैंड—2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए): (i) मंत्रालय में भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण का भार साधक सलाहकार या संयुक्त सचिव — अध्यक्ष (ii) निदेशक या उप सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण),पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य (iii) निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड़ वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारीः –

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए+ग्रेड वेतन 4200 रुपए या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री ।
- (ii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त या कानूनी संगठन/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालय/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

वांछनीय :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम

केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन् का	
साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में	
की गई सेवा समझी जाएगी।	

[फा. सं. 01/21/2011—सीएसबी] डॉ. आर. दलवानी, वैज्ञानिक 'जी'/सलाहकार (संरक्षण एवं सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2015

G.S.R.750(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1965, in so far as they relate to the post of Librarian and Ledger Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, namely:-

- 1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Savings.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and	Whether	Age-limit for
			Grade Pay or Pay	selection post or	direct recruits
			Scale	non-selection	
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Library	2* (2015)	General Central	Pay Band-2 of	Selection	Not applicable
and Information	*Subject to	Service, Group	Rs. 9300-34800		
Officer	variation	'B' Gazetted,	withGrade Pay of		
	dependent on	Non-Ministerial	Rs. 4600		
	workload				

Educational and other	Whether age and	Period of probation,	Method of recruitment,
qualifications required for	Educational qualifications	if any	whether by direct
direct recruits	prescribed for direct		recruitment or by promotion
	recruits will apply in		or by deputation/absorption
	the case of promotees		and percentage of the
			vacancies to be filled
			by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which
			by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/	If a Departmental Promotion	Circumstances in
absorption grades from which promotion or	Committee exists what is its	which Union Public
deputation/ absorption to be made	composition	Service Commission
		to be consulted in
		making Recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Consultation with
Library and Information Assistants in Pay Band-2, of	Committee (for considering	Union Public
Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 with five	promotions):	Service Commission
years regular service in the grade and successfully		is not necessary.
completed training of two weeks in the field of Library	(i) Advisor or Joint Secretary in-	
and Library Science	charge of Botanical Survey of	
Note 1: Where juniors who have completed their	India in the Ministry – Chairman	
qualifying or eligibility service are being considered	(ii) Director or Deputy Secretary	
for promotion, their seniors would also be considered	(Conservation and Survey),	
provided they are not short of the requisite qualifying	Ministry of Environment, Forests	
or eligibility service by more than half of such	and Climate ChangeMember	
qualifying or eligibility service or two years,	(iii) Director, Botanical Survey of	
whichever is less, and have successfully completed	India – Member	
probation period for promotion to the next higher		
grade alongwith their juniors who have already		
completed such qualifying or eligibility service.		
Note 2: For the purpose of computing minimum		
qualifying service for promotion, the service rendered		
on a regular basis by an officer prior to 1 st January,		
2006 or the date from which the revised pay structure		
based on the recommendations of the Sixth Central		
Pay Commission has been extended, shall be deemed		
to be service rendered in the corresponding grade pay		
or pay scale extended based on the recommendations		
of the said Pay Commission except where there has		
been merger of more than one pre-revised scale of pay		
into one grade with a common grade pay or pay scale		
and where this benefit will extend only for the post (s)		
for which that grade pay or pay scale in the normal		
replacement grade without any upgradation.		

Deputation:

Officers under the Central or State Government or Union Territories -

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or
- (ii) with five years' regular service in Pay Band-2, of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200/-or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience as under:
 - Bachelor's in Library Science or Library and Information Science of a recognised University/ Institute.
 - (ii) Two years' professional experience in a Library under Central/State Government/ Autonomous or Statutory organisation/ Public Sector Undertaking/ University or recognized research or educational institution.

Desirable:

- (i) Master's Degreee in Library Science or Library and Information Science of a recognised University/ Institute.
- (ii) Diploma in Compute Applications from a recognised University or Institute.

Note 1: The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the application.

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3: For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1st January 2006, or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F.No.: 01/21/2011-CSB]

Dr. R. DALWANI, Scientist G/Advisor (Conservation and Survey)